(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1819–एक/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–04–2007 पारित द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 440/अ–19/04–05 निगरानी ।

कौशल्या देवी पत्नि हरिनारायण
साकिन ग्राम मकरी कुढ़ार तहसील व
जिला पन्ना म0प्र0

..... आवेदिका

विरूद्ध

म0प्र0शासन

..... अनावेदक

.....

श्री अनिल चौबे, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 3/3/15 को पारित )

यह निगरानी आवेदिका द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–04–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार देवेन्द्रनगर द्वारा मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 (जिसे आगे चलकर अधिनियम,1984 कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत ग्राम मकरी कुठार स्थित शासकीय भूमि खसरा नम्बर 635 रकबा 1–80 हेक्टर का व्यवस्थापन पटटा आवेदिका को पहले अपने नामान्तरण पंजी कमांक 21 दिनांक 8–10–1991 द्वारा स्वीकृत किया गया । उक्त भूबंटन में अनियमिततायें पाये जाने के कारण तहसीलदार पन्ना के प्रतिवेदन दिनांक 12–5–2004 के आधार पर अपर कलेक्टर जिला पन्ना

द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया । अपर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा अपने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 137/निगरानी/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 21–3–2005 द्वारा अपर तहसीलदार देवेन्द्रनगर के द्वारा जारी पटटे को विधि एवं प्रकिया के विपरीत पाते हुये उक्त आदेश को निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि को पुनः शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया । अपर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–3–05 से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 440/अ–19/2004–05 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 16–4–2007 से निगरानी निरस्त की गई। अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–4–2007 से दुखित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/. प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने निवेदन किया गया परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्को पर विचार किया जा रहा है । प्रस्तुत तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि आवेदिका को 2–10–84 के पूर्व से खसरा नम्बर 635 रकबा 1.80 हेक्टर पर विधिवत् फसल बोकर कब्जा होने के कारण ग्राम मकरी कुठारी शासकीय भूमि आवेदिका को पंजी कमांक 21 दिनांक 8–10–97 को प्रदान की गई थी इसलिये तहसीलदार देवेन्द्रनगर द्वारा व्यवस्थापन की कार्यवाही विधिवत् की गई है । तर्क में यह भी बताया कि आवेदिका के पति का उपरोक्त भूमि पर सन् 1965 से विधिवत् कब्जा है व राजस्व रिकार्ड में आवेदिका के पति का नाम खसरा पंचशाला में दर्ज है तथा वर्तमान में भी राजस्व अभिलेखों में आवेदिका का नाम दर्ज है । तहसीलदार द्वारा आवेदिका के पक्ष में व्यवस्थापन में कोई त्रुटि नहीं की है । शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन कर आवेदिका को पटटा प्रदान किया गया है । व्यवस्थापन आदेश के लगभग 13 वर्ष बाद प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया गया है जो अवधि बाहर है जिस भूमि का पटटा आवेदिका को प्रदान किया गया है उस पर ग्राम वासियों को आज भी कोई आपत्ति नहीं है ।

आवेदिका के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है । अपर कलेक्टर द्वारा बिना आवेदिका को सुने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आदेश पारित किया है जिसे आयुक्त न्यायालय द्वारा स्थिर रखने में त्रुटि की है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपर कलेक्टर न्यायालय एवं अतिरिक्त आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 21 दिनांक 8–10–1991 को पारित आदेश मान्य करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण में अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अधिनियम 1984 तथा उसके अन्तर्गत बनाये नियमों में कोई कार्यवाही नहीं की । न तो आवेदन प्राप्त किया, न प्रकरण दर्ज किया, न भू–अभिलेखों का अवलोकन किया, न इश्तहार जारी किया, न कोई जॉच की, न निर्धारित प्रारूप में भूमिस्वामी होने की कोई घोषणा जारी की । तहसीलदार ने आवेदिका का नाम सीधे नामान्तरण पंजी पर दर्ज कर दिया । उक्त कार्यवाही पूरी तरह से अवैधानिक तथा विधि प्रकिया के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही शून्य है । ऐसी कार्यवाही को निरस्त करने में कोई समय बाध्यता अपर कलेक्टर को नहीं थी । आवेदिका ने उक्त तथ्यों के विपरीत कोई तर्क/साक्ष्य भी किसी भी स्टेज पर पेश नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में इस निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी अमान्य की जाती है।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर